

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-12/2010/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन के कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ते की दरों का पुनरीक्षण ।

संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक (1) ज्ञाप क्रमांक 100/592/93/नि-1, दिनांक 28-6-93, (2) ज्ञाप क्रमांक एफ 4/5/2002/नियम/चार, दिनांक 30-8/3-9-2002 (3) ज्ञाप क्रमांक एफ 4/4/2003/नियम/चार, दिनांक 15-9-2003, (4) ज्ञाप क्रमांक एफ-4-4-/2002/नियम/चार, दिनांक 16 नवम्बर, 2005, (5) ज्ञाप क्रमांक एफ-4-7/2007/नियम/चार दिनांक 23 अक्टूबर, 2007, (6) ज्ञाप क्रमांक एफ 4-8/2007/नियम/चार, दिनांक 17-12-2007, एवं (7) ज्ञाप क्रमांक एफ 4-5/2007/नियम/चार, दिनांक 17-12-2007.

---●●●---

राज्य वेतन आयोग की राज्य शासन के कर्मचारियों/अधिकारियों को देय यात्रा भत्ता की दरों एवं देय भत्तों की संरचनाओं में पुनरीक्षण संबंधित अनुशंसाओं पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त यात्रा भत्ते की दरें, पूर्व में जारी आदेशों को संशोधित करते हुये संदर्भित ज्ञापनों में उल्लेखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(1) कर्मचारियों/अधिकारियों का वर्गीकरण - मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम 1977 के पूरक नियम 5 अनुसार शासकीय सेवकों का चार श्रेणियों में वर्गीकरण मासिक वेतन के आधार पर है । राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार अब मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले ग्रेड वेतन के आधार पर शासकीय सेवकों को यात्रा भत्ता के समस्त प्रयोजनों हेतु निम्नानुसार 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :-

श्रेणी	ग्रेड वेतन
(1)	(2)
ए	₹ 7600 एवं अधिक
बी	₹ 6600 एवं अधिक पर ₹ 7600 से कम
सी	₹ 4200 एवं अधिक पर ₹ 6600 से कम
डी	₹ 2400 एवं अधिक पर ₹ 4200 से कम
ई	₹ 2400 से कम

(2) **वाहन भत्ता** - ऐसे शासकीय सेवकों को जिन्हें अपने मुख्यालय पर या उससे कुछ दूरी पर शासकीय कार्य से स्वयं के वाहन से अथवा सवारी के दूसरे साधन से यात्रा करनी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होती है, को यात्रा भत्ता नियमों के पूरक नियम 12 के अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ते के रूप में वाहन भत्ता प्राप्त होता है। आयोग की अनुशंसा अनुसार वाहन भत्ते की दरें निम्नानुसार पुनरीक्षित की जाती हैं :-

(₹ प्रतिदिन)

शासकीय कर्तव्य पर किया जाने वाला औसत माहवारी सफर किलोमीटर	स्वयं की मोटरकार से.	सवारी के दूसरे साधन से एक हॉर्स पावर या उससे अधिक शक्ति के वाहन से
(1)	(2)	(3)
201 से 300	750	300
301 से 450	1125	400
451 से 600	1375	500
601 से 800	1625	600
800 से अधिक	2000	700

(3) **दैनिक भत्ता** - यात्रा भत्ता नियमों में यात्रा की अवधि में मुख्यालय से अनुपस्थिति पर दैनिक भत्ता (पूरक नियम 30), मुख्यालय भत्ता (पूरक नियम 25 की टिप्पणी), विशेष विराम भत्ता (पूरक नियम 55-ए अनुसार) दिया जाता है। राज्य वेतन आयोग के द्वारा मुख्यालय भत्ता तथा विशेष विराम भत्ते को समेकित कर दैनिक भत्ते की दरें निर्धारित की गई हैं। तदनुसार समेकित दैनिक भत्ते की दर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(₹ प्रतिदिन)

श्रेणी	साधारण दर	प्रदेश के चार बड़े नगरों यथा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं प्रदेश के बाहर के स्थानों (कालम 4 में दर्शाये स्थानों को छोड़कर) के लिये विशेष दर .	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलूरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे के लिये दर .
(1)	(2)	(3)	(4)
ए	200	300	400
बी	160	240	320
सी	120	180	240
डी	100	150	200
ई	70	105	140

(4) **यात्रा के साधन** - राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार ग्रेड वेतन के आधार पर निम्नानुसार लोक वाहक के साधनों से यात्रा करने हेतु श्रेणी निर्धारित की जाती है :-



श्रेणी	हवाई यात्रा	रेलगाड़ी से यात्रा	बस से यात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
ए	इकानॉमी श्रेणी	समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
बी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
सी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एवं एकजीक्यूटिव श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
डी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, एकजीक्यूटिव श्रेणी एवं वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	वातानुकूलित डीलक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी
ई	नहीं	केवल स्लीपर तथा गैर वातानुकूलित कुर्सीयान	वातानुकूलित डीलक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी

राज्य के भीतर प्रमुख नगरों के लिए सस्ती वायुसेवा के प्रोत्साहन हेतु जारी वित्त विभाग के निर्देश क्रमांक एफ 4-5/2011/नियम/चार, दिनांक 27-8-2011 के अनुसार ऐसे अधिकारी जिनका ग्रेड वेतन 6600 या अधिक है, ऐसी सस्ती वायु सेवा (राज्य के भीतर) के पात्र होंगे। इसके साथ ही वित्त विभाग के पूर्व निर्देशों के अनुसार माननीय मंत्रीगणों, मुख्य सचिव एवं मुख्य सचिव के समकक्ष वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों को हवाई जहाज की एकजिक्यूटिव क्लास / बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा की पात्रता होगी।

(5) मील भत्ता - पूरक नियम 25 के अंतर्गत स्वयं के वाहन से यात्रा करने पर मील भत्ते की दरों को पुनरीक्षित कर निम्नांकित दरें निर्धारित की जाती है :-

क्र.	शासकीय सेवक की श्रेणी	मील भत्ते की दर प्रति किलोमीटर ₹	अधिकतम सीमा प्रतिमाह ₹ में
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ए श्रेणी के ₹ 7600/- एवं उससे अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले कार्यपालिक पदों पर नियुक्त अधिकारी, जिन्हें शासकीय वाहन आवंटित नहीं है, को निजी मोटरकार से यात्रा करने पर (मित्र की कार सम्मिलित नहीं है)	05	10,000
2.	सभी श्रेणी के शासकीय सेवकों द्वारा निजी मोटर साईकल अथवा स्कूटर से यात्रा करने पर	02	2000
3	शासकीय सेवक के द्वारा अन्य साधन से शासकीय यात्रा करने पर	01	500

(6) ठहरने की पात्रता - आयोग की अनुशंसा अनुसार यात्रा के दौरान, ठहरने की सुविधा को पुनरीक्षित करते हुए अधिकारियों/कर्मचारियों की श्रेणी अनुसार निम्नानुसार दर निर्धारित की जाती है:-

(₹ प्रतिदिन)

श्रेणी	दिल्ली, मुम्बई, कोलकत्ता, चैन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे .	प्रदेश के 4 बड़े नगरों यथा इन्दौर, भोपाल, जबलपुर ग्वालियर एवं प्रदेश के बाहर (कालम 2 को छोड़कर) के स्थानों में होटल में ठहरने पर .	प्रदेश के अन्दर अन्य स्थानों में होटल में ठहरने पर.	प्रदेश के बाहर/ महानगर में मित्र / रिश्तेदार के यहां ठहरने पर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ए	4000	3000	2000	400
बी	3000	2250	1500	350
सी	2000	1500	1000	300
डी	1000	750	500	250
ई	500	375	250	200

(7) प्रदेश के बाहर की यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन व्यय -

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 4-4/2002/नियम/चार, दिनांक 16-11-2005 द्वारा राज्य के बाहर दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई, चैन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे में सरकारी काम से यात्रा करने पर स्थानीय यात्राओं हेतु स्वीकृत दरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है :-

(₹ प्रतिदिन)

क्र.	शासकीय सेवक की श्रेणी.	स्थानीय परिवहन हेतु प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि. (₹ में)	परिवहन की व्यवस्था स्वयं करने पर देय राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ए	1200	250
2	बी	800	200
3	सी	500	150
4	डी	300	100
5	ई	150	50

(8) स्थानान्तरण पर घरेलू सामान का परिवहन - राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार शासकीय सेवक के स्थानान्तरण पर निजी सामान की दुलाई के लिए ग्रेड वेतन के अनुसार श्रेणीकरण के आधार पर निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती हैं :-

क्रमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	स्वीकृत दर ₹ प्रति किलोमीटर
(1)	(2)	(3)
1	“ए” एवं “बी”	18
2	“सी” एवं “डी”	09
3	“ई”	06

(9) स्थानान्तरण अनुदान - शासकीय सेवकों का एक मुख्यालय से अन्य मुख्यालय पर जनहित में स्थानान्तरण होने पर घरेलू सामान को बांधने, खोलने, ट्रक में चढ़ाने एवं उतारने के लिए एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :-

(राशि ₹ में)

क्रमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	पुनरीक्षित दर
(1)	(2)	(3)
1	ए	3000
2	बी	2400
3	सी	1800
4	डी	1200
5	ई	900

यह आदेश दिनांक 01-08-2012 या उसके पश्चात की गई यात्राओं पर लागू होगा ।
जिन प्रकरणों में अंतिम भुगतान किया जा चुका है, वह पुनः नहीं खोले जा सकेंगे ।

मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियमों के संबंधित पूरक नियमों में यथा आवश्यक संशोधन पृथक से जारी किए जावेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(मनीष रस्तोगी)

सचिव

म.प्र. शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11-12/2010/नियम/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर, 2012

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।


(डी.के.सक्सैना)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग